संख्या: 106/2016/1452/छप्पन-2016-42/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2016

विषय: बेल-412 हेलीकॉप्टर पर 412 Component Overhaul (English) प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:2898/ना0उ0नि0/इंजी/एफ-2/2016, दिनांक 05-09-2016 एवं पत्र संख्या-3258/ना0उ0नि0/इंजी/एफ-2/2016, दिनांक 06-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये क्रय किये गये राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ई0पी0आई0 (वी0टी0-यू0पी0के0) पर श्री लवप्रीत सिंह, हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को हेलीकॉप्टर-412 Component Overhaul (English) का प्रशिक्षण दिनांक 17.10.2016 से दिनांक 04.11.2016 तक (आने-जाने हेतु 02 दिन एवं एक दिन पहले पहुंचना एक दिन बाद आना कुल 04 दिन) Bell Training Academy Taxas USA में दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण श्री लवप्रीत सिंह, हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेश यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में उक्त अभियन्ता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) उक्त अभियन्ता को भारत से यू0एस0ए0 एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(4) उक्त अभियन्ता को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डा तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु एवं स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए निदेशक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्रा हेतु एवं फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) प्रशिक्षु अभियन्ता को प्रशिक्षण पर भेजने से पूर्व उनसे यथानियम बाण्ड निष्पादित कराया जायेगा।

2- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1-458/दस-2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

पृ0सं0: 106/2016/1452(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0।
7. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in